16/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रतिवादीगण
को ता: पत्रावली बाद [illegible] निर्देशानुसार से प्रस्तुत
किया जाता है कि वो विभागीय आवरण की [illegible]
व [illegible] रिकार्ड की सत्यापित [illegible] बनाये रखें।
पत्रावली [illegible] अनुभाग [illegible] से काम हो
तथा बाद [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] बाद हो।